[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड -3, उपखंड- (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

**अधिसूचना संख्या 74/2019-कस्टम (गै.टे)**

नई दिल्ली, दिनांक 09th अक्टूबर 2019

सा.का.नि (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, कुरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा

1. (1) इन विनिनियमों को कुरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा एवं प्रसंस्करण) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2019 कहा जाएगा

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कुरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विनियमावली से संदर्भित किया गया है) के प्रारंभिक पैरा ग्राफ में, शब्द और अंक "धारा 157" के स्थान पर शब्द और अंक," धारा 84 के साथ पठित धारा 157" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त विनियमवाली में, विनियम 6 में, उक्त विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

" (3) प्राधिकृत कूरियर या उसका एजेंट, जिसने कि कस्टमस ब्रोकर्स लाइसेंसी रेग्यूलेशन, 2018 के विनियम 6 या विनियम 13 में संदर्भित परीक्षा को पास कर ली हो निर्यात माल की प्रविष्टि, यथोचित अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के पहले, कागजात संबंधी कूरियर शिपिंग बिल-III )CSB-III) को फार्म जी में, या उपहारों नमूनों या प्रोटो टाइप के समानों से संबंधित कूरियर शिपिंग बिल-IV (CSB-IV) को फार्म एच में, या जैसी भी स्थिति हो, विदेश व्यापार नीति (2015-20) के प्रशिष्ट 3 (ग) में यथा अधिसूचित वस्तुओं, मर्केडाइज एक्सपोर्ट फार्म इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं, जिनमें विदेशी मुद्रा के विनिमय की बात शामिल हो, वस्तुओं से संबंधित कूरियर शिपिंग बिल-V (CSB-V) को फार्म एचए में प्रविष्ट करेगा"।

[फा.सं. 450/4/2013-कस्टमस -IV]

ज़ुबेर रियाज़

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमाशुल्क)

नोट:- प्रधान विनियमावली [अधिसूचना संख्या 36/2010-सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 05 मई 2010] को सा.का.नि. 385(अ), दिनांक 05 मई 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड -3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 27 फरवरी 2019, सा.का.नि 158(अ), दिनांक 27 फरवरी 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।